संख्या–338/XXIV(1)/2005

प्रेषक,

नम्रता कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद्,
देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादून दिनांक फरवरी,2005

विषयः– जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–III के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में खोले जाने वाले नवीन प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक एवं शिक्षा मित्रों के पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक– रा0प0नि0/1245/पद सृजन/डीपीईपी/2004–05 दिनांक 22–11–2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम– III के संचालन हेतु परियोजना से संबंधित जनपदों में संलग्न विवरण के अनुसार वेतनमान रू0 5500–175– 9000 के प्रधानाध्यापक एवं नियत वेतन रू0 3000 में शिक्षा मित्रों के अस्थायी पदों को इस शासनादेश के जारी होने के दिनांक अथवा पदों को भरे जाने की तिथि से, जो भी बाद में हो, से दिनांक 31–3–2005 तक के लिए इस शर्त के साथ कि अनुवर्ती वर्षों में आय–व्ययक में इन पदों के वेतन भत्तों को वहन करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं।

2– इन पदों को इससे पूर्व भी बिना किसी सूचना के समाप्त किया जा सकता है। इन पदों के पद धारकों को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृति महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते जो भी नियमानुसार अनुमन्य हों, भी देय होंगे।

3– उक्त पदों को भरे जाने के फलस्वरूप होने वाली परिणामी रिक्तियों को रिक्त रखा जायेगा तथा उतनी ही संख्या में और नये खोले गये प्राथमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय दो अध्यापक के सिद्धान्त के आधार पर एक पद पर शिक्षा मित्र को नियमानुसार रखा जायेगा।

4— प्रधानाध्यापक के सृजित पदों पर पदोन्नति से नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक के वेतन की धनराशि का व्यय बेसिक शिक्षा के आयोजनेत्तर पक्ष से पूर्ववत वहन किया जाता रहेगा। प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति से वेतन निर्धारण के फलस्वरूप वेतन में देयवृद्धि (इंक्रीमेन्टल सेलरी) शिक्षा मित्रों (पैंरा टीचर) के मानदेय पर होने वाले व्यय का वहन जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम– III से किया जायेगा। यह कार्यक्रम सन् 2005 तक ही संचालित होने के कारण यह पद दिनांक 31–3–2005 तक ही सृजित माने जायेंगे और तत्पश्चात परियोजना समाप्ति पर यह सभी पद राज्य सरकार के अधीन बेसिक शिक्षा में समायोजित माने जायेंगे तथा इनका व्यय भार भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–407/वित्त अनु0–4/2005 दिनांक 21–2–2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(नम्रता कुमार)
अपर सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2— निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तरांचल, देहरादून।
3— निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल देहरादून।
4— जिलाधिकारी, बागेश्वर/ हरिद्वार।
5— कोषाधिकारी, बागेश्वर/ हरिद्वार।
6— वित्त अनुभाग–4/ नियोजन अनुभाग।
7— राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
8— गार्ड फाइल।

संलग्नक–यथोपरि।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–~~138~~ 117/XXIV(1) /2005 दिनांक 23 फरवरी,2005
का संलग्नक

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम– III के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में नये खोले जाने वाले प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रधानाध्यापक के पदों का सृजन एंव शिक्षा मित्रों की संख्या

क0स0	जनपद का नाम	नवीन प्राथमिक विद्यालयों की सखंया	प्रधानाध्यापक के पदों की संख्या (वेतनमान रू0 5500–9000)	शिक्षा मित्रों के पदों की सखंया (नियत वेतन रू0 3000 प्रति माह)
1.	बागेश्वर	5	5	10
2.	हरिद्वार	20	20	40
	योग	**25**	**25**	**50**

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।